मध्य प्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक/ एफ-5-16/81/10-3/डी-2823 भोपाल, दि. 27 नवम्बर, 2010

प्रति,

समस्त कलेक्टर,

मध्यप्रदेश

विषय:- वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमियों का गैर वानिकी प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन- अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 का पालन करने हेतु ग्राम सभा की बैठक।

सन्दर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का पत्र क्रमांक एफ-11-9/1998 एफ.सी. (पी.टी) दिनांक 03/08/2009

-----o-----

विषयान्तर्गत भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के संदर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न प्रेषित है। भारत सरकार के पत्र अनुसार वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत आवेदक द्वारा प्रस्तुत वन भूमि व्यपवर्तन का प्रस्ताव संबंधित क्षेत्र के ग्राम सभा के समक्ष रखा जाना है। भारत सरकार के पत्र में राज्य शासन से निम्न जानकारी वन भूमि व्यपवर्तन के प्रस्ताव के साथ चाही गई है:-

इस आशय का प्रमाणीकरण कि-

क- वनभूमि व्यपवर्तन हेतु आवेदित सम्पूर्ण वन क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 (वन अधिकार अधिनियम) के अंतर्गत वन अधिकारों की पहचान एवं उनके व्यवस्थापन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। उसकी पुष्टि में ग्राम सभा एवं अन्य समितियों द्वारा वन अधिकार के संबंध में किये गये विचार-विमर्श एवं बैठकों के अभिलेख।

ख- व्यपवर्तन हेतु आवेदित भूमि का प्रस्ताव वन अधिकार अधिनियम में अंतर्गत सक्षम ग्राम सभा के समक्ष रखे जाने संबंधी कार्यवाही की जानकारी।

ग- व्यपवर्तन हेतु आवेदित क्षेत्र में वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत समस्त औपचारिकताओं/प्रक्रियाओं पूर्ण कर लिया गया है तथा ग्राम सभा ने व्यपवर्तन के प्रस्ताव के विवरण को समझ लिया है तथा प्रस्ताव पर उसकी सहमति है , संबंधी जानकारी।

घ- वन अधिकार अधिनियम की धारा 3 (2) के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा संचालित जनउपयोगी सुविधाओं के लिए वन भूमि का व्यपवर्तन ग्राम सभा की सहमति से पूर्ण करने के संबंध में जानकारी।

ङ- वन भूमि व्यपवर्तन के प्रस्ताव को ग्राम सभा की बैठक में रखने तथा बैठक में ग्राम सभा के सदस्यों का न्यूनतम 50 प्रतिशत के कोरम में विचार-विमर्श कर निर्णय लेने संबंधी जानकारी।

च- वन अधिकार अधिनियम, 2006 की धारा 3 (1) (e) के अनुसार आदिम जनजाति समूहों और कृषि पूर्व समुदायों का अधिकारों को विशेष रूप से सुरक्षित करने संबंधी जानकारी।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत अधिकारों का अंतिम रूप से विनिश्चयन जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जाता है। अत: भारत सरकार के संदर्भित पत्र में राज्य शासन से चाहे गये प्रमाण-पत्र के संबंध में आपके स्तर से जारी किये जाने वाले प्रमाण-पत्र का प्रारूप संलग्न है। कृपया वन भूमि व्यपवर्तन के प्रस्तावों में संबंधित ग्राम सभाओं द्वारा जारी सहमति पत्र की जाँच पड़ताल कर निर्धारित प्रारूप में उक्त प्रमाण-पत्र आवेदक को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार-3

(एम.के.राय)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग

पृ0क्रमांक /एफ-5-16/81/10-3/डी-2824 भोपाल, दि. 27 नवम्बर, 2010

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग भोपाल।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक मध्यप्रदेश, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. समस्त मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) वन वृत्त, मध्यप्रदेश।
4. समस्त वन मण्डलाधिकारी, (क्षेत्रीय) वन मण्डल, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अपर मुख्य सचिव

मध्यप्रदेश शासन

वन विभाग

F.No. 11-9/1998-FC (pt)
Government of India
Ministry of Environment and Forests
(FC Division)

Paryavaran Bhawan,
CGO Complex, Lodhi Road,
New Delhi-110510.
Dated: 03.08.2009

To,

The Chief Secretary / Administrator

(All State/UT Governments except J&K)

Subject:- Diversion of forest land for non-forest purposes under the Forest (Conservations) Act, 1980 – ensuring compliance of the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act 2006.

Sir,

In continuation to this Ministry's letter of even number dated 30.07.2009, I am directed to invite the attention of the State Government to the operationalization of the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 which has become effective from 01.01.2008. It is observed that the proposals under the Forest (Conservation) Act,1980 are being received from different states/UT Governments with submission that the settlement of rights under Forest Rights Act, 2006 (FRA) will be completed later on.

Accordingly, to formulate unconditional proposals under the Forest (Conservation) Act, 1980, the State/UT Governments are, wherever the process of settlement of Rights Under the FRA has been completed or currently under process, required to enclose evidences for having initiated and completed the above process, especially among other sections, Sections 3(1) (i), 3(1) (e) and these enclosures of evidence shall be in the form of following:

a. A letter from the State Government certifying that the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire forest area of proposed for diversion, with a record of all consultations and meetings held;

b. A letter from the State Government certifying that proposals for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular / local languages) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;

c. A letter from each of the concerned Gram Sabhas, indicating that all formalities /processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensatory and ameliorative measures if any having understood the purposes and details of proposed Diversion.

d. A letter from the State Government certifying that the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and that the Gram Sabha's have consented to it.

e. A letter from the State Government certifying that discussions and decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of members of the Gram Sabha present;

f. Obtaining the written consent or rejection of the Gram Sabha to the proposal.

g. A letter from the State Government certifying that the rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable, have been specifically safeguarded as per section 3(1)(e) of the FRA.

h. Any other aspect having bearing on operationalisation of the FRA.

The State/UT Governments, where process of settlement of Rights under the FRA is yet to begin, are required to enclose evidences supporting that settlement of rights under FRA 2006 will be initiated and completed before the final approval for proposals.

This is issued with the approval of the Minister of Environment and Forests.

(C.D. Singh)

Sr.Assistant Inspector General of Forests

Copy to:-

1. The PMO(Kind attention: Director, PMO)
2. The Secretary, Ministry of Tribal Affairs, Shastri Bhawan, New Delhi.
3. The Principal Chief Conservator of Forests, ALL States /UTs.
4. The Nodal Officer (FCA), O/o the PCCFs, ALL States/UTs.
5. All regional Offices of MoEF located at Bhopal, Shillong , Bangalore, Lucknow, Bhubaneshwar and Chandigarh.
6. The RO (HQ), DIGF (FP), Sr.AIGF (FC)/AIGF (FC), MoEF, New Delhi.
7. Monitoring Cell, FC Division, MoEF, New Delhi for placing the same on the website of the MoEF.
8. Guard File.

(C.D. Singh)

Sr. Assistant Inspector General of Forests

कार्यलय प्रधान मुख्य वन संरक्षक(कक्ष भू -प्रबंध) सतपुड़ा भवन मध्य प्रदेश भोपाल

पृ0क्रमांक /एफ -11/08/36/10-11/2073 भोपाल, दिनांक 7-9-09

प्रतिलिपि:-

1. समस्त मुख्य वन संरक्षक(क्षेत्रीय)/वन मंडल अधिकारी म0प्र0 की ओर उपरोक्त भारत सरकार के निर्देशनुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
2. समस्त कक्ष प्रभारी कार्यलय अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(भू-प्रबंध) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेत अग्रेषित।

मुख्य वन संरक्षक(भू-प्रबंध)

ANNEXURE – 1

CERTIFICATE TO BE FURNISHED BY THE COLLECTOR OF THE CONCERNED DISTRICT

1. It is certified that the complete process for diversion and settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 has been carried out for the entire forest Area of 89.811 ha of Khambessi PRF, 68.447 of Nimagiri PRF and 149.355 Ha of jungle block (PF) in Rayagada District proposed for diversion for the Lanjigarh Bauxite Mining Project of Orissa Mining Corporation Ltd. It is revealed from the records that there are no claims either of any person or of any community residing around the total forest area of 307.613 ha proposed for diversion for the Lanjigarh Bauxite Mining Project of Orissa Mining Corporation Limited under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006.

2. It is certified that the proposals for such diversion have been placed before each of the Gram Sabhas of forest dwellers who are eligible under the Forest Rights Act. Details of The projects and its implications have been explained to them in vernacular language. ~ Not Applicable since there are no claims of any individual or community for the area proposed for diversion. Further there is no habitation or any revenue village boundary within the entire mining lease area of 313.128 Ha falling under Rayagada district.

3. It is certified that discussions and decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of members of the Gram Sabha present- Not applicable in view of 2 above.

4. It is certified that the rights of primitive tribal groups and pre-agricultural communities have been specifically safeguarded as per Section 3(1)(e) of the Forest Rights Act.

5. It is certified that the diversion of forest land for facilities managed by Government as required under Section 3 (2) of the Forest Rights Act (if any) have been completed and that the Gram Sabhas have consented to it.

Collector & District Magistrate, Rayagada
Chairman District Level Committee

CERTIFICATE TO BE FURNISHED BY THE COLLECTOR OF THE CONCERNED DISTRICT

1. It is certified that the complete process for diversion and settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 has been carried out for the entire forest area of 353.136 Ha of Niyamgiri Reserve Forest in Kalahandi District proposed for diversion for the Lanjigarh Bauxite Mining Project of Orissa Mining Corporation Limited. It is revealed form the records that, so far there are no claims of individual or community under the ST. & other Traditional Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act 2006 over the above 353.136 ha area proposed for diversion.

2. It is certified that the proposals for such diversion have been placed before each of the Gram Sabhas of forest dwellers who are eligible under the Forest Rights Act. Details of the projects and its implications have been explained to them in vernacular language. - Not Applicable since there are no claims of any individuals or community for the proposed for diversion. Further there is no habitatic in the area of 408.195 ha of mining lease falling in Kalahandi district.

3. It is certified that the discussions and decisions on such proposals had taken place only when there was quorum of minimum 50% of members of the Gram Sabha present - Not Applicable in view of Point No 2 above.

4. It is certified that the rights of primitive tribal groups and pre-agricultural communities have been specifically safeguarded as per Section 3(1)(e) of the Forest Rights Act.

5. It is certified that the diversion of forest land for facilities managed by Government as required under Section 3(2) of the Forest Rights Act (if any) have been initiated and will be Completed.

Collector & District Magistrate, Kalahandi
Chairman District Level Committee

कार्यालय कलेक्टर, जिला .....मध्यप्रदेश

-संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा जारी किये जाने वाला प्रमाण-पत्र-

1. प्रमाणित किया जाता है कि जिले ..... के ग्राम .....के आरक्षित /संरक्षित वन क्षेत्र के वन खण्ड..... के कक्ष क्रमांक .....रकबा .....हेक्टेयर /राजस्व वन क्षेत्र के खसरा क्रमांक .....रकबा .....हेक्टेयर वनभूमि जो ..... परियोजना के लिए व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित है, में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत व्यपवर्तन एवं अधिकारों के व्यवस्थापन की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है।

   अभिलेखों के आधार पर यह पाया गया कि..... परियोजना में व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित कुल रकबा.....हेक्टेयर वनभूमि पर उसके चारों ओर निवासरत किसी व्यक्ति या समुदाय के कोई भी दावे अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत लंबित अथवा अनिर्णित नहीं है।
2. यह प्रमाणित किया जाता है कि वन भूमि व्यपवर्तन का उपरोक्त प्रस्ताव अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत पात्र वन निवासियों की ग्राम सभा के समक्ष रखा जा चुका है। प्रस्ताव का विस्तृत विवरण तथा उसके प्रभावों की व्याख्या उन्हें स्थानीय भाषा में की चुकी है। अथवा /यह कि व्यपवर्तन हेतु आवेदित क्षेत्र पर किसी व्यक्ति या समुदाय का कोई दावा नहीं होने के कारण यह बिंदु लागू नहीं है। (जो लागू नहीं हो उसे काट दें) साथ ही जिले के अंतर्गत संपूर्ण आवेदित वनक्षेत्र ..... हेक्टेयर में किसी रहवास य राजस्व ग्राम की सीमा नहीं है। (यदि लागू हो तो)
3. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रस्ताव पर चर्चा एवं निर्णय केवल तभी लिया गया जब ग्राम सभा के उपस्थित सदस्यों का न्युनतम 50 प्रतिशत कोरम पूर्ण था। (यदि कण्डिका 2 के प्रकाश में लागू हो)
4. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 (1) (e) के अनुसार आदिम जनजाति समूहों और कृषि पूर्व समुदायों के अधिकारों को विशेष रूप से सुरक्षित किया गया है।
5. यह प्रमाणित किया जाता है कि शासन द्वारा प्रबंधित की जाने वाली सुविधाओं हेतु वन भूमि व्यपवर्तन की कार्यवाही (यदि कोई हो) अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3(2) की आवश्यकतानुसार पूरी की जा चुकी है तथा प्रभावित ग्राम सभाओं की इसमें सहमति है। अथवा कार्यवाही प्रारंभ की जा चुकी है एवं पूर्ण की जावेगी (जो भी लागू हो)

कलेक्टर, जिला.....

अध्यक्ष जिला स्तरीय समिति

हस्ताक्षर नाम एवं मुद्रा सहित

कार्यालय ग्राम सभा ..... जनपद पंचायत .....

जिला .....मध्यप्रदेश

-ग्राम सभा का सहमति पत्र -

प्रमाणित किया जाता है कि -

1. .....(आवेदक विभाग का नाम) ..... की .....(परियोजना का नाम)..... ..... में .....(कार्य का नाम) ..... का कार्य किया जाना प्रस्तावित है, मेरे पंचायत क्षेत्र के ग्राम..... के आरक्षित/संरक्षित वन क्षेत्र के वन खण्ड ..... के कक्ष क्रमांक .....में/राजस्व वन क्षेत्र के खसरा क्रमांक..... में है। उक्त वन भूमि के व्यपवर्तन का प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत ग्राम सभा के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ है।
2. वन भूमि व्यपवर्तन का प्रस्ताव अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत पात्र वन निवासियों की ग्राम सभा के समक्ष रखा गया है। प्रस्ताव का परिक्षण एवं उस पर चर्चा ग्राम सभा की बैठक दिनांक..... को की गई, जिसमें ग्राम सभा के 50 प्रतिशत से अधिक सदस्य उपस्थित थे।
3. ग्राम सभा यह प्रमाणित करती है कि, व्यपवर्तन के लिए आवेदित वन भूमि के सम्पूर्ण क्षेत्र पर अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत समस्त औपचारिकताओं/ प्रक्रियाओं का पालन पूर्ण कर लिया गया है तथा ग्राम सभा ने व्यपवर्तन के प्रस्ताव के विवरण को समझ लिया है।
4. वन भूमि व्यपवर्तन के फलस्वरूप संपादित किये जाने वाले कार्य से पंचायत क्षेत्र के विकास की संभावना है। अत: ग्राम सभा एदद द्वारा उक्त कार्य पर अपना अभिमत/ सहमति व्यक्त करती है।

संलग्न:- ग्राम सभा की बैठक की कार्यवाही विवरण की छायाप्रति।

दिनांक

प्रधान/सचिव

हस्ताक्षर नाम एवं मुद्रा सहित

टीप:- प्रस्ताव पर यदि ग्राम सभा सहमत हो तभी यह प्रमाण -पत्र जारी किया जाये। यदि ग्राम सभा सहमत नहीं है तो प्रमाण-पत्र न जारी किया जाये।